

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खैरवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान सुर्वेरी

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सुर्वेरी व भूअनि.
खैरवाड़ा की रिपोर्ट तथा ~~खैरवाड़ा~~ तहसीलदार ~~खैरवाड़ा~~ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सुर्वेरी तहसील खैरवाड़ा जिला
~~खैरवाड़ा~~ की जमाबन्दी सम्बन्ध 2075-78 में खाता संख्या 10 में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>सुर्वेरी</u>	10	<u>हरिलाल पुत्र रामजी मीणा</u>	<u>हरिश्च पुत्र रामा मीणा</u>

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी खैरवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर.

कमांक :- ~~22~~ 2260

दिनांक :- 21/12/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, खैरवाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री हरिश्च पुत्र रामा मीणा को सूचनाये।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर.

Receipt
MA

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

प्रार्थी :- हरीश पुत्र राजा

विषय :- राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती करने बाबत।

महोदय जी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुझ प्रार्थी का निम्न प्रकार निवेदन है :-

1. कि ग्राम खेत की जमाबन्दी सम्वत् 2015-18 की खाता संख्या 10 खसरा संख्या कित्ता 32 रकबा 3.45 हैक्टेयर भूमि के खाते में मुझ प्रार्थी का नाम हरिलाल पुत्र राजा दर्ज है।
2. कि मेरा सही नाम हरीश पुत्र राजा है, एवं मेरी शैक्षणिक योग्यता/मतदाता फोटो पहचान पत्र/आधार कार्ड/राशन कार्ड एवं अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजों में भी मेरा सही नाम हरीश पुत्र राजा ही दर्ज है।
3. कि मेरा नाम खाते में दर्ज करते समय गाँव में मुहबोला नाम हरिलाल पुत्र राजा होने से उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया। खाते में नाम वास्तव में मेरे सही नाम का विकृत/अपभ्रंश है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत मेरा नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने की कृपा करावे।

भवदीय

HR

आवेदक/खातेदार

संलग्न :-

1. जमाबन्दी नकल।
2. पहचान हेतु सरकारी दस्तावेज।

प्रशासन गाँवों के संग अभियान

रिपोर्ट पटवारी सुवेदी तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही है। ग्राम की खाता संख्या 10 में प्रार्थी का नाम हत्तिलाल फु राया दर्ज है, जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दस्तावेजों में सही नाम हरीश फु राया दर्ज है। खाते में दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपभ्रंश है। अतः ग्राम सुवेदी की खाता संख्या 10 में दर्ज नाम हत्तिलाल फु राया के स्थान पर सही इन्द्राज हरीश फु राया दर्ज किया जाना उचित है।

भू अभिलेख निरीक्षक जवाय

पटवारी

कार्यालय तहसीलदार खेरवाड़ा जिला उदयपुर

भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम सुवेदी की जमाबन्दी की खाता संख्या 10 में दर्ज नाम हत्तिलाल फु राया के स्थान पर सही नाम हरीश फु राया दर्ज किया जाना उचित है।

तहसीलदार खेरवाड़ा
तहसीलदार
जिला-उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा जिला उदयपुर

क्रमांक :

दिनांक : 21/12/2021

::आदेश::

प्रार्थी के प्रार्थना एवं तहसीलदार खेरवाड़ा की रिपोर्ट एवं सलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान भू अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम सुवेदी की जमाबन्दी की खाता संख्या 10 में दर्ज नाम/इन्द्राज हत्तिलाल फु राया के स्थान पर सही नाम/इन्द्राज हरीश फु राया दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार खेरवाड़ा आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी
खेरवाड़ा जि उदयपुर

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

बयान

प्रार्थी श्री हरीश पुत्र राम का राजस्व रिकार्ड में नाम हीरालाल पुत्र राम हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम हरीश पुत्र राम है। प्रार्थी श्री हरीश पुत्र राम और श्री हरीश पुत्र राम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में नाम हीरालाल पुत्र राम के स्थान पर हरीश पुत्र राम किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर

वार्डपंच शैलेश

हरीश
सरपंच
ग्राम पंचायत सुवेरी
व.म. खेरवाडी, ज. उदयपुर
हस्ताक्षर
सरपंच

बयान

में श्री हीरालाल पिता कुमार जाति भोज उम्र ५५ निवासी सुवेरी प्रार्थी का सह खातेदार/ग्राम निवासी हूँ। एवं प्रार्थी श्री हीरालाल पुत्र राम को भली भाँति जानता हूँ। इनका वास्तविक सही नाम श्री हरीश पुत्र राम है, जो कि राजस्व रिकार्ड में हीरालाल पुत्र राम हो गया है। प्रार्थी का नाम खाते में दर्ज करते समय गाँव में मुहबोला नाम हीरालाल होने से उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थी श्री हीरालाल पुत्र राम और श्री हीरालाल पुत्र राम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में नाम हीरालाल पुत्र राम के स्थान पर हरीश पुत्र राम किया जाना सही है।

कुमार
हस्ताक्षर गवाह

बयान

में श्री हीरालाल पिता वेणु जाति भोज उम्र ५५ निवासी सुवेरी प्रार्थी का सह खातेदार/ग्राम निवासी हूँ। एवं प्रार्थी श्री हीरालाल पुत्र राम को भली भाँति जानता हूँ। इनका वास्तविक सही नाम श्री हरीश पुत्र राम है, जो कि राजस्व रिकार्ड में हीरालाल पुत्र राम हो गया है। प्रार्थी का नाम खाते में दर्ज करते समय गाँव में मुहबोला नाम हीरालाल होने से उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थी श्री हीरालाल पुत्र राम और श्री हीरालाल पुत्र राम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में नाम हीरालाल पुत्र राम के स्थान पर हरीश पुत्र राम किया जाना सही है।

हीरालाल
हस्ताक्षर गवाह